न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 01/2012

श्री दौलतसिंह मेड़तिया पुत्र स्व. श्री औंकारसिंह जी मेड़तिया, जाति राजपूत निवासी मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

————वादी

ब ना म

राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय मसूदा तहसील मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

————प्रतिवादी

वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 21.2.2018

वादी ने अपने वादपत्र में सारांशतः कथन किए हैं कि मौजा मसूदा पटवार क्षेत्र मसूदा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मसूदा तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0 की जमाबन्दी संवत् 2065–68 के अनुसार मौजा मसूदा के खसरा संख्या 3814/2 रकबा 17–05–00 किस्म गै.मु. चट्टान व खसरा संख्या 4228/6 रकबा 125–10–00 किस्म गै.मु. पहाड़ कुल कित्ता कुल रकबा 142–15–00 में से खसरा संख्या 3814 में से 07–10–00 एवं खसरा संख्या 4228 में से 07–10–00 कुल 15 बीघा भूमि जिसे इस वादपत्र में आगे वादग्रस्त भूमियों के नाम से सम्बोधित किया गया है। उक्त वादग्रस्त भूमियों पर वादी पिछले कई वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं वादी के पिछले कई सालों के लगातार कब्जा होने के कारण सरकार द्वारा दिनांक 27.10.1986 को वादग्रस्त भूमियां वादी के हक में निजी वन विकास हेतु आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित की गई एवं आवंटन दिनांक के पश्चात् आज दिवस तक वादी बिना किसी रोकटोक के मालिकाना हक व अधिकार की हैसियत से वादग्रस्त भूमियों पर शांतिपूर्ण तरीके से अपने उपयोग में लेता चला आ रहा है जिसमें कभी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं रहा है। वादी के हक मे आवंटन के पश्चात् वादी ने वादग्रस्त भूमियों के चारों तरफ चारदीवारी कर चार हजार से भी अधिक पौधे लगाए जिस हेतु श्रीमान् विकास अधिकारी महोदय मसूदा द्वारा वादी के अच्छे कार्य हेतु प्रमाण पत्र दिया गया वहीं उपजिला कलेक्टर एवं प्रशासक महोदय ब्यावर द्वारा निजी वन के क्षेत्र में प्रशंसनीय कार्य करने के लिये सम्मानित करते हुए प्रशस्ति पत्र प्रदान करते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह दिनांक 15.08.1994 को वादी को सम्मानित किया गया। इतना ही नहीं वादी द्वारा लगाये गये पौधे निजी वन के उत्कृष्ठ कार्य हेतु मण्डल वन अधिकारी महोदय अजमेर द्वारा पौधो की लागत दो लाख तीस हजार चार सौ रूपये आंकते हुए प्रमाण पत्र जारी किया गया। वादग्रस्त भूमियों में काफी धन खर्च कर एवं मेहनत कर भूमियों को सुधार कर काश्त योग्य बनाई एवं भूमियों को वर्तमान रूप दिया। इसके बावजूद वादग्रस्त भूमियों की वादी को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जाने के कारण वादी को वादपत्र प्रस्तुत कर न्यायालय की शरण में आना पड़ा है। उपरोक्त भूमियों वादी की खातेदारी भूमियों से लगती हुई है। वादी का वाद कारण इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उपरोक्त वाद के तथ्यों को देखते हुए सर्वप्रथम उस दिनांक को उत्पन्न हुआ जब वादी ने अपनी आवंटनशुदा भूमियों बाबत् खातेदारी अधिकार दिलाये जाने हेतु प्रतिवादी एवं अन्य उच्च अधिकारियों से सम्पर्क कर खातेदारी अधिकार दिये जाने बाबत् निवेदन किया किन्तु वादी के निवेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तदुपरान्त वादकारण दिन प्रतिदिन प्रोतभूत होता चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में यह घोषित किया जाना आवश्यक है कि वादी वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित खसरा संख्या 3814/2 में

.....लगातार

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

से 07–10–00 एवं खसरा संख्या 4228/6 में से 07–10–00 यानी कुल 15 बीघा भूमियों का खातेदार काश्तकार है एवं राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है तदनुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करने हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जावे। वादी के हक में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञप्ति पारित की जाकर प्रतिवादी को पाबंद किया जावे कि वो स्वययं उनके अधिकृत कर्मचारीगण वादग्रस्त भूमियों में वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखल अंदाजी उत्पन्न नहीं करें एवं वादग्रस्त भूमियों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें।

वादपत्र प्राप्त होने पर प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने अपने जवाब रिपोर्ट दिनांक 06.11.2017 में कथन किए हैं कि मौजा मसूदा के खसरा संख्या 3814/2 रकबा 17–05–00 गै.मु. चट्टान सिवायचक खाते में पहाड़िया और पर्वत दर्ज है एवं खसरा संख्या 4228/6 के बजाय खसरा संख्या 4632/4228 रकबा 111–05–00 किस्म गै.मु. पहाड़ सिवायचक खाते में पहाड़िया और पर्वत दर्ज है एवं उक्त दोनों खसरा नम्बरान की नक्शा लंक लाट में तरमीम नहीं होना अंकित किया है।

वादी ने साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी प्रस्तुत किया जिसमें उनके कथन कमोबेश उनके वादपत्र अनुसार ही रहे तथा स्वतंत्र गवाह श्री देवेन्द्र तंवर पुत्र श्री कानसिंह उम्र 35 साल जाति राजपूत निवासी मसूदा व श्री रमेशचन्द गुरू पुत्र श्री शंकरलाल जाति गुरू उम्र 62 साल निवासी मसूदा व श्री कैलाशचन्द सैन पुत्र श्री शेषकरण सेन जाति नाई उम्र 52 साल निवासी मसूदा ने साक्ष्य के शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी के कथनों की पुष्टि की।

वादपत्र पर उभयपक्षान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी ने वादग्रस्त आराजी में वादी को खातेदा काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया जबकि पेरोकार सरकार तहसीलदार मसूदा ने बहस में कथन किए कि उक्त भूमिया राजस्व अभिलेखों में सिवायचक पहाड़ियां एवं पर्वत दर्ज है। अतः वादपत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकर वादी ने अपने वाद पत्र में कथन किया है, कि वादी का विवादित भूमियो पर कई सालो से कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा सरकार द्वारा दिनांक 27.10.1986 को वादग्रस्त भूमियां वादी के हक में निजी वन विकास हेतू आवंटन कमेटी द्वारा आवंटित करने का कथन करते हुये खातेदारी की घोषणा चाही है। जिसके विषय में दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रदर्श–1 जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के अनुसार खसरा नंबर 3814/2 पहाडिया और पर्वत दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–2 जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के खाता संख्या 483 के अनुसार भोपालसिंह, गोपालसिंह, दौलतसिंह पिसरान औंकारसिंह कौम राजपूत दर्ज होना पाया गया। प्रदर्श–3 प्रमाण पत्र कार्यालय पंचायत समिति मसूदा द्वारा आवंटित भूमि में विलायति बबूल के पोधे लगाये हुये है वे बहुत अच्छी हालत में होने का कथन किया है। प्रदर्श–4 प्रमाण पत्र कार्यालय क्षैत्रीय वनअधिकारी ब्यावर द्वारा आवंटित भूमि में प्रोसोपिस ज्यूलीफलोरा के लगभग 4000 पोधे 8 से 10 उचाई के बहुत अच्छी स्थिति में मौजूद होना पाया गया। प्रदर्श–5 उपजिला प्रशासन ब्यावर द्वारा दौलतसिंह पुत्र श्री औंकारसिंह राजपूत को निजीवन विकास हेतू सन् 1993–1994 प्रशिस्त पत्र जारी किया जाना पाया गया। प्रदर्श–6 वादी द्वारा लगाये गये निजी वन में खर्चो का ब्यारो होना पाया गया। वादी व गवाहो बयानो व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत वादग्रस्त आराजी पर पोधे लगाये है, एंव विवादित भूमियां वादी के कब्जे काश्त में होना पाया जाता है, ऐसी स्थिति में पत्रावली के उक्त विवेचन व दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार वादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार योग्य पाया जाता है।

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलेक्टर
मसूदा (अजमेर) राज.

.....लगातार

राजस्व वाद संख्या 01 सन् 2012

श्री दौलतसिंह बनाम राजस्थान सरकार

अतः वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा मसूदा के खसरा संख्या 3814/2 रकबा 17–05–00 गै.मु. चट्टान में से 07–10–00 तथा खसरा नंबर 4632/4228 रकबा 111–05–00 किस्म गै.मु. पहाड़ में से 07–10–00 कुल 15 बीघा भूमि को नियमानुसार नियमन करने हेतू नियमन कमेटी में भेजे जाने के आदेश पारीत किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे यथानुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.2.18 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 16:56:01 IST
Reason: SelfAttested
Location: